न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 29 / 2024

लाव्या उम्र 6 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती बली माता शशि बिश्नोई पत्नी अमित जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला हाल आबाद 110 नन्दपुरी हवा सड़क 22 गोदाम जयपुर

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रेमकुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजकुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. शान्ति देवी पत्नी काशीराम जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. राजबाला पुत्री काशीराम पत्नी काशीराम जाति बिश्नोई साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. अमित पुत्र प्रेमकुमार जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला हाल आबाद कार्यरत पंजाब ग्रामीण बैंक जण्डवाला मीरा सरबर खुईयां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
7. संदीप पुत्र प्रेमकुमार जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. पंकज पुत्री प्रेमकुमार पत्नी सेंस्करण जाति बिश्नोई साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	–– प्रार्थीया
2. श्री अर्जुन सिंह नरूका	–– अप्रार्थी सं. 1 ता 5, 7 व 8
3. श्री संजय चाण्डक	––अप्रार्थी संख्या 6

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 21/04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है।

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण [illegible] है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है। इस हिन्दु संयुक्त परिवार [illegible] प्रार्थीया के दादा श्री काशीराम थे। जहां तक प्रार्थना पत्र का संबंध है [illegible]

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के [illegible] की खातेदारी कृषि भूमि [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्लयू के खाता सं. [illegible] के प.नं. 45/277 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, प.नं. 471277 के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 612, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 12.650 हैक. मे से अप्रार्थी सं. 1–2 प्रत्येक का 12119/25300 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 3 का 531/12650 हिस्सा कृषि भूमि मुताबिक नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्लयू–ए के खाता सं. 69 के प.नं. 32/283 के किला नं. 1 ता 17 की कुल 4.301 हैक. नहरी कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4–5 मे अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा श्री काशीराम द्वारा अपनी पंजाब मे 50 बीघा पैतृक कृषि भूमि का बेचान करके सम्वत् 2023 मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की नाबालिग आवस्था मे खरीदकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाई। वर्तमान सम्वत् 2080 मे अप्रार्थी सं. 1 की उम्र 54 वर्ष है जो कि मतदाता सूची सम्वत् 2079 वर्ष 2023 के भाग सं. 51 के क्र.सं. 23 मे अप्रार्थी सं. 1 उम्र 53 वर्ष है और सम्वत् 2023–2026 की चित्रप्रति जमाबन्दी में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के द्वारा वाद पत्र की दफा 4 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने बरूवे पंजीयन बैयनामा श्रीचन्द वल्द रामरतन से खरीदशुदा है। इससे स्पष्ट है कि सम्वत् 2023 मे अप्रार्थी सं. 1 की उम्र 5 वर्ष थी। चित्रप्रति जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 व मतदाता सूची प्रति वर्ष 2023 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4–5 मे अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक व संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जो कि प्रार्थीया के द्वारा श्री काशीराम द्वारा अपनी पंजाब मे पैतृक कृषि भूमि का बेचान करके नाबालिग अवस्था मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाई तथा अप्रार्थी सं. 4 के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे वर्णित कृषि भूमि इन्द्राज करवाई और अप्रार्थी सं. 4 के नाम से चक 10 एमओडी मे 20 बीघा कृषि भूमि इन्द्राज करवाई इस प्रकार समस्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक एवं सहदायिक कृषि भूमि होने के कारण से प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। अप्रार्थी सं. 4 की वर्तमान मे लगभग 84 वर्ष की उम्र है जिन्हें कानों से कम सुनाई देता है तथा आखों से कम दिखाई देता है व मानसिक व शारिरीक स्थिति भी अत्याधिक क्षीण हो चुकी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि का पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों ने आपसी बंटवारा करवाया और मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार अप्रार्थी सं. 4 वृद्ध होने एवं अक्सर बीमार रहने के कारण से प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा मानते हुए एवं प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज हिस्सानुसार कृषि भूमि का आपसी बंटवारा किया गया और घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 5, 8 ने अपना हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष मे मौखिक रूप से त्याग कर दिया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित 12119/25300 हिस्सा कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा व प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त 1/3 हिस्सा मे से प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 4 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित व अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारिनी है जो कि घोषित किया जाकर एवं प्रार्थीया के हक मे डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित व अप्रार्थी सं. 1 को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसका आये दिन सींव बट व रकम राज को लेकर तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थीया को अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से खाता विभाजन करवाने की अधिकारिनी है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं. 1, 6 ता 8 झगडालू व दहेज लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो प्रार्थीया की माता से अकारण ही झगड़ा करते रहते हैं। इसी कारण अप्रार्थीगण एक राय है और अप्रार्थीगण लालच के वशीभूत होकर प्रार्थीया के हक व हिस्सा की पैतृक कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को ओन पोने दामों मे किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व हर प्रकार हस्तांतरण एवं मुन्तकिल करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबो मे कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीया अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगी व प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति कारित होगी। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जानी नितांत आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम वर्णित चक 3 एलजीडब्लयू के खाता सं. 78 के प. नं. 45/277 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, प.नं. 471277 के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 12.650 हैक्. व चक 8 एलजीडब्लयू–ए के खाता सं. 69 के प.नं. 32/283 के किला नं. 1 ता 17 की कुल 4.301 हैक्. कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थीया के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7 व 8 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा प्रस्तुत किया शामिल वाद है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री संजय चाण्डक हाजिर वकालतनामा शामिल वाद है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 ता 8 की और निम्न प्रकार से है –यह कि उक्त अनवान वाद पत्र न्यायालय मे पेश कियर जाना स्वीकार है लेकिन प्रकरण माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए पेश किया है इसलिए कामयबी की कोई सम्भावना नही है न ही कोई ठोस आधार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में सजरा खानदान से सम्बधित है पति के जीवन काल में पत्नी उसकी वारिस नही हो सकती मुताबिक हिन्दू विधि पति व पत्नी एक ही ईकाई होती है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि बाबत बताया गया है कि उक्त कृषि भूमि दादा काशीराम द्वारा पंजाब में कृषि भूमि का बैचान कर खरीद की गई है, इस सम्बंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये गए है, और पंजाब का व्यक्ति राजस्थान में कृषि भूमि नही खरीद सकता ऐसा नियम है, उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स. की खरीदशुदा कृषि भूमि है, जिसके सम्बंध में तमाम हक व अधिकार अप्रार्थी स. का है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, मिन अप्रार्थि स. 4 पूर्ण रूप से स्वस्थ है, केवल उम्र ज्यादा होने के कारण किसी भी व्यक्ति को बीमार नही कहा जा सकता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी स. 4 के सम्बंध में किये गये कथनो के सम्बंध में तथ्य व रिकार्ड पेश नही किया गया हैं । उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थिया का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही बनता ना ही वो किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारीनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविध का संतुलन नही बनता है तथा न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति हो रही है इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्च (कोस्ट) खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7 व 8 की ओर से लिखित बहस अप्रार्थी स. 1 ता 5, 7 व 8 की और निम्न प्रकार से हैं रू– यह कि प्रकरण माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए पेश किया है इसलिए कामयबी की कोई सम्भावना नही है न ही कोई ठोस आधार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में सजरा खानदान से सम्बधित है पति के जीवन काल में पत्नी उसकी वारिस नही हो सकती मुताबिक हिन्दू विधि पति व पत्नी एक ही ईकाई होती है। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कृषि भूमि बाबत बताया गया है कि उक्त कृषि भूमि दादा काशीराम द्वारा पंजाब में कृषि भूमि का बैचान कर खरीद की गई है, इस सम्बंध में कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय में बतौर साक्ष्य पेश नही किये गए है, और पंजाब का निवासी राजस्थान में कृषि भूमि नही खरीद सकता ऐसा नियम है, उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 की खरीदशुदा कृषि भूमि है, जिसके सम्बंध में तमाम हक व अधिकार अप्रार्थी स. 1 को हासिल है। मिन अप्रार्थी स. 4 पूर्ण रूप से स्वस्थ है, केवल उम्र ज्यादा होने के कारण किसी भी व्यक्ति को बीमार नही कहा जा सकता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी स. 4 के सम्बंध में किये गये कथनो के सम्बंध में तथ्य व रिकार्ड पेश नही किया गया हैं । उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थिया का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही बनता ना ही वो किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारीनी है । प्रार्थिया के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही बनता है, तथा न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति हो रही है इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अत लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्च (कोस्ट) खारिज फरमाया जावे। लिखित बहस का जवाब अधिवक्ता प्रार्थी प्रस्तुत नहीं करना चाहतें है। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वादिया की पैत्रक कृषि भूमि है अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला अनवृत की जावे। बहस पर मनन किया गया। उभ्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांतो को ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीया परिवार की सहदायिकी सदस्य है। प्रार्थीया नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा करना नितातं आवश्यक है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 12.03.24 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 21/4/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा